

सेवा में,

थानाध्यक्ष,

कोतवाली नगर थाना,

सरकारी अस्पताल के सामने, मोती बाग,

कोटियाट, बुलंदशहर – 203 001

30 जुलाई 2025

PEOPLE FOR
THE ETHICAL
TREATMENT
OF ANIMALS
INDIA

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai
Maharashtra 400049
022 40727382

Info@petaindia.org
PETAIndia.com

विषय: बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में कुत्ते की नृशंस हत्या के संबंध में BNSS, 2023 की धारा 173(1) के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध।

प्रिय महोदय,

मैं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (PETA इंडिया), जो देश का सबसे प्रसिद्ध पशु अधिकार संगठन है, की ओर से आपको बुलंदशहर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई एक कुत्ते की बर्बर हत्या की गंभीर घटना पर तुरंत ध्यान देने और इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ BNSS, 2023 की धारा 173(1) के अनुसार तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ।

हमारे कार्यालय को 29 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सुदर्शन न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक ट्वीट की रिपोर्ट करने वाले ईमेल और कॉल की भरमार मिली है, जिसमें एक सामुदायिक कुत्ते के प्रति क्रूरता का परेशान करने वाला वीडियो फुटेज है।

वीडियो में एक साथ चल रही दो अलग-अलग रिकॉर्डिंग शामिल हैं। पहले वीडियो में दो आदमी एक मोटे डंडे से एक कुत्ते को बेरहमी से पीट-पीट कर मारते हुए दिख रहे हैं।

एक आदमी कुत्ते को छह ज़ोरदार वार करता है, जो पहले से ही लेटा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इन 6 वारों से पहले भी उसे मारा गया था।

इसके बाद, दूसरा आरोपी, यह देखकर कि कुत्ता अभी भी जीवित है, कमान संभालता है और कुत्ते के सिर और शरीर पर बारह और वार करता है जब तक कि कुत्ता अंततः मर नहीं जाता।

दूसरे वीडियो में, दो आरोपियों में से एक को कुत्ते के बेजान शरीर को गली में घसीटते हुए देखा जा सकता है।

सुदर्शन न्यूज़ द्वारा 'X' पर प्रकाशित उक्त अपराध की स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक पेनड्राइव में संलग्न है और आपके अवलोकन के लिए इस पत्र के साथ प्रदान की गई है।

जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी पशु को मारना भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसमें कहा गया है, "जो कोई भी किसी पशु को मारकर, जहर देकर, अपंग करके या अनुपयोगी बनाकर शरारत करता है, उसे किसी भी विवरण के

Entities:

- PETA US
- PETA Asia
- PETA France
- PETA Australia
- PETA Germany
- PETA Switzerland
- PETA Netherlands
- PETA Foundation (UK)

Registered Office:

-110, First Floor, Jagdamba Tower
Plot No 13, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi
Delhi 110092

CIN: U74899DL2000NPL103217

PEOPLE FOR
THE ETHICAL
TREATMENT
OF ANIMALS
INDIA

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai
Maharashtra 400049
022 40727382

info@petaindia.org
PETAIndia.com

कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों।"

दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य अत्यधिक अमानवीय है और इसके परिणामस्वरूप कुत्ते की मृत्यु हुई, जिससे पशु को मारने के लिए BNS, 2023 की धारा 325 का उल्लंघन हुआ।

इसके अतिरिक्त, यह कार्य BNS, 2023 की धारा 3(5) के दायरे में भी आता है, जो कई व्यक्तियों द्वारा "सभी के सामान्य इरादे के आगे" किए गए कृत्यों को संबोधित करता है।

इसके अलावा, पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) उन कृत्यों को परिभाषित करती है जिन्हें पशुओं के प्रति क्रूर माना जाएगा और उन्हें कानून के तहत दंडनीय बनाया जाएगा।

PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(a) किसी भी पशु को अनावश्यक दर्द और पीड़ा के अधीन करने के तरीके से पीटने, लात मारने, यातना देने या व्यवहार करने पर रोक लगाती है।

PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(i) किसी भी पशु (बेघर कुत्तों सहित) को विकृत करने या मारने के कार्य को एक संज्ञेय और दंडनीय अपराध बनाती है।

यह आरोप लगाया गया है कि दो बच्चे कुत्ते द्वारा काटे गए थे, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने कुत्ते को पीट-पीट कर मार डाला।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 (पहले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 के रूप में जाना जाता था) के अनुसार, ABC नियम, 2023 का नियम 16, कुत्ते के काटने के मामलों के समाधान का प्रावधान करता है जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि या तो पशु चिकित्सा अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गली के कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैनात पशु कल्याण संगठन संघर्ष के मामलों को दर्ज करने और हल करने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे पशुओं को मानवीय रूप से पकड़कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ABC नियम व्यक्तियों को मामलों को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

किसी भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, जिसमें किसी पशु को नुकसान पहुंचाना या मारना शामिल है, न केवल ABC नियमों का उल्लंघन है, बल्कि BNS, 2023 और PCA अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत एक दंडनीय अपराध भी है।

ABC नियम यह अनिवार्य करते हैं कि ऐसे मामलों को नामित अधिकारियों द्वारा मानवीय और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटाया जाए, और आरोपी व्यक्तियों के कार्यों ने इस कानूनी ढांचे को दरकिनार कर दिया और कानून के शासन को कमजोर कर दिया।

किसी पशु के खिलाफ अनाधिकृत कार्रवाई करना, विशेष रूप से मृत्यु में परिणत होना, न केवल अवैध है बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी कायम करता है जो पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों को कमजोर करता है।

Entities:

- PETA US
- PETA Asia
- PETA France
- PETA Australia
- PETA Germany
- PETA Switzerland
- PETA Netherlands
- PETA Foundation (UK)

Registered Office:
F-110, First Floor, Jagdamba Tower
Plot No 13, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi
Delhi 110092

CIN: U74899DL2000NPL103217

PEOPLE FOR
THE ETHICAL
TREATMENT
OF ANIMALS
INDIA

मेरी सहकर्मी सलोनी साकरिया के साथ एक टेलीफोनिक बातचीत में, उन्हें सूचित किया गया था कि पुलिस FIR दर्ज न करने पर विचार कर रही है क्योंकि कुत्ते ने दो बच्चों को काट लिया था जिसे बाद में 'आत्मरक्षा' के कृत्य के रूप में वर्गीकृत करके मार दिया गया था।

'आत्मरक्षा' केवल तभी स्वीकार्य आधार है जब इसका प्रयोग स्वयं की रक्षा की सीमा तक किया जाए और इससे आगे न बढ़ाया जाए।

उक्त मामले में, भले ही यह सच हो कि दो बच्चों को कुत्ते ने काट लिया था, वीडियो से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे आत्मरक्षा से आगे निकल गए।

लगातार वार करना, विशेष रूप से कुल 18 वार/प्रहार, स्पष्ट रूप से आत्मरक्षा का कार्य नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, कथित आत्मरक्षा में किए गए किसी भी कार्य को कानून की अदालत द्वारा निर्धारित और तय किया जाना है, और पुलिस आत्मरक्षा के दावे को स्वीकार करके FIR दर्ज करने से बच नहीं सकती है।

हम आपके ध्यान में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) संख्या 11686 का 2007 'एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए. नागराज' में 7 मई 2014 को पारित निर्णय भी लाना चाहेंगे, जिसमें न्यायालय ने माना है कि PCA अधिनियम, 1960 को लागू करना सरकार का कर्तव्य है, और यदि अधिनियम के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और घोषणाओं का ठीक से और प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन प्राप्त किया जा सके।

माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1545 का 2025 'इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य और अन्य' में 28 मार्च 2025 को पारित एक निर्णय में, शीर्ष न्यायालय ने माना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(1) के तहत, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, तो बिना किसी प्रारंभिक जांच के तत्काल FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

प्रामाणिक घोषणा के मद्देनजर, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यहां प्रस्तुत जानकारी एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है।

ऊपर वर्णित घटना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप संबंधित कानून और बाध्यकारी मिसालों के अनुसार कार्रवाई करें, BNSS, 2023 की धारा 173(1) के तहत, BNS, 2023 की धाराओं 3(5) और 325, PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(i); और किसी भी अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों के लिए तत्काल एक FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हैं।

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai
Maharashtra 400049
22 40727382

Info@petaindia.org
PETAIndia.com

Entities:
• PETA US
• PETA Asia
• PETA France
• PETA Australia
• PETA Germany
• PETA Switzerland
• PETA Netherlands
• PETA Foundation (UK)

Registered Office:
F-110, First Floor, Jagdamba Tower
Plot No 13, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi
Delhi 110092

CIN: U74899DL2000NPL103217

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मुझसे 7428395765 या spurohit@petaindia.org पर संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

श्रीधरा पुरोहित

क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक, PETA इंडिया

PEOPLE FOR
THE ETHICAL
TREATMENT
OF ANIMALS
INDIA

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai
Maharashtra 400049
022 40727382

Info@petaindia.org
PETAIndia.com

Entities:

- PETA US
- PETA Asia
- PETA France
- PETA Australia
- PETA Germany
- PETA Switzerland
- PETA Netherlands
- PETA Foundation (UK)

Registered Office:
F-110, First Floor, Jagdamba Tower
Plot No 13, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi
Delhi 110092

CIN: U74899DL2000NPL103217